RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
सितंबर
04
2025

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

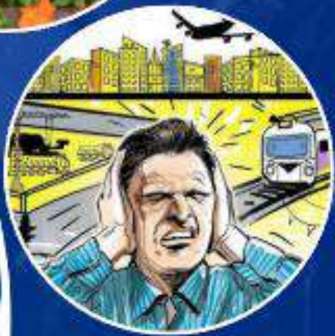

By Ankit Avasthi Sir

WHO ने मानसिक स्वास्थ्य पर नई रिपोर्ट जारी की / WHO Released New Reports on Mental Health

संदर्भ:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में दो नई रिपोर्टें जारी की हैं – **'वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे'** और **'मेंटल हेल्थ एटलस 2024'**।

ये रिपोर्टें मानसिक स्वास्थ्य की वैश्विक स्थिति पर गहन दृष्टि प्रस्तुत करती हैं और आने वाले **सितंबर 2025 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की उच्च-स्तरीय बैठक** (जो गैर-संचारी रोगों तथा मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रोत्साहन पर केंद्रित होगी) से पहले वैश्विक विमर्श को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण साधन के रूप में सामने आई हैं।

रिपोर्ट के अहम निष्कर्ष:

- **महिलाओं पर अधिक असर:** मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावित हैं। दोनों लिंगों में सबसे आम लक्षण हैं - बेचैनी (Anxiety) और अवसाद (Depression)।
- **आत्महत्या एक बड़ी चुनौती:** वर्ष 2021 में करीब **7.27 लाख लोगों ने आत्महत्या की**, जो युवाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण है। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य था कि 2030 तक आत्महत्या दर में **33% कमी** लाई जाए, लेकिन मौजूदा रुझान के अनुसार केवल **12% प्रगति** ही हो पाई है।
- **निवेश की गंभीर कमी:** दुनिया के देशों की सरकारें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल स्वास्थ्य बजट का केवल 2% ही खर्च करती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 2017 से इस आँकड़े में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- **उच्च और निम्न-आय वाले देशों का अंतर:** उच्च-आय वाले देशों में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति 65 डॉलर खर्च किए जाते हैं, जबकि निम्न-आय वाले देशों में यह आँकड़ा सिर्फ 0.04 डॉलर है।
- **कार्यबल की भारी कमी:** वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति एक लाख लोगों पर केवल 13 मानसिक स्वास्थ्यकर्मी ही उपलब्ध हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक प्रगति के बारे में भी बताया गया है जैसे-

- **प्राथमिक देखभाल में एकीकरण:** पहले से कहीं अधिक देशों में अब मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में जोड़ा गया है। साथ ही, स्कूलों और समुदायों में शुरुआती चरण में ही समर्थन कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार:** आज 80% से अधिक देशों में आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं में मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक समर्थन शामिल है। 2020 में यह आंकड़ा केवल 40% देशों तक सीमित था।
- **टेलीहेल्थ सेवाओं का विस्तार:** कई देशों ने टेलीस्वास्थ्य सेवाएँ शुरु की हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुँच आसान हो रही है।

- **मानवाधिकार के रूप में मान्यता:** डब्ल्यूएचओ ने जोर दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य को एक बुनियादी मानवाधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए सरकारों को निवेश बढ़ाने, कानूनी संरक्षण उपायों को मजबूत करने, समुदाय-आधारित और व्यक्ति-केंद्रित देखभाल को बढ़ावा देने और मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं – भारत

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NMHS) 2015-16** के अनुसार:
  - भारत में 10.6% वयस्क मानसिक रोगों से प्रभावित हैं।
  - मानसिक रोगों के लिए उपचार का अंतर (Treatment Gap) 70% से 92% तक है।
  - शहरी मेट्रो क्षेत्रों में मानसिक रोगों की संभावना 13.5% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 6.9% है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25** ने मानसिक स्वास्थ्य और देश की आर्थिक भविष्य के बीच संबंध को उजागर किया।

भारत के युवाओं में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं के मुख्य कारण:

- **अत्यधिक इंटरनेट और सोशल मीडिया उपयोग:** चिंता, नींद संबंधी विकार और ध्यान की समस्याएं बढ़ती हैं।
- **परिवार की सहभागिता की कमी:** कमजोर सामाजिक समर्थन प्रणाली भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालती है।
- **शत्रुतापूर्ण कार्यस्थल और लंबे कार्य घंटे:** बर्नआउट, तनाव और उत्पादकता में कमी।
- **अस्वास्थ्यकर जीवनशैली:** अत्यधिक संसाधित भोजन और शारीरिक गतिविधियों की कमी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती है।

राजस्थान सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश / Rajasthan Govt to introduce anti-conversion Bill

संदर्भ:

राजस्थान सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में एक और कड़े विधेयक को पेश करने जा रही है, जिसका उद्देश्य **जबरदस्ती, भ्रामक जानकारी या धोखाधड़ी के माध्यम से होने वाले धार्मिक परिवर्तन** पर रोक लगाना है। यह कदम राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

धर्म परिवर्तन विधेयक –

धर्म परिवर्तन विधेयक क्या है? यह विधेयक जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है।

मुख्य प्रावधान:

1. **जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक:** कोई भी व्यक्ति किसी को धोखे, प्रलोभन या धमकी देकर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता।
2. **गैरकानूनी माना जाएगा:** उपरोक्त तरीके से धर्म परिवर्तन करवाना कानून के तहत अवैध होगा।
3. **कठोर सजा का प्रावधान:** यदि आरोप सिद्ध होता है, तो इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
4. **धर्मांतरण और विवाह:** यदि किसी का धर्म परिवर्तन कराकर उससे विवाह किया जाता है, तो कोर्ट उस विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है।

राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

सामान्य मामलों में सजा और जुर्माना: दोषियों को 7 से 14 साल तक की कैद और न्यूनतम 5 लाख रुपये का जुर्माना होगा।

- सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 20 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और न्यूनतम 25 लाख रुपये का जुर्माना होगा।

धर्मांतरण के मकसद से की गई शादी अवैध: केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई शादी कानूनी रूप से अमान्य मानी जाएगी।

- सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

घर वापसी पर कोई रोक नहीं: अपने पैतृक धर्म में लौटना धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा, नाबालिगों, महिलाओं, दिव्यांगों या एससी/एसटी समुदाय के लोगों का धर्मांतरण कराने पर 10 से 20 साल की कैद और कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना होगा।

विदेशी फंडिंग पर सख्त कार्रवाई: धर्मांतरण के लिए विदेशी या बिना अनुमति के पैसा लेने पर 10 से 20 साल तक की कैद और कम से कम 20 लाख रुपये का जुर्माना होगा। जोर-जबरदस्ती, शादी में धोखाधड़ी, मानव तस्करी या कमजोर पीड़ितों से जुड़े मामलों में 20 साल से लेकर उम्रकैद तक की कैद और कम से कम 30 लाख रुपये का जुर्माना होगा।

बार-बार अपराध पर उम्रकैद: बार-बार अपराध करने वालों को उम्रकैद तक की सजा और कम से कम 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

- गैरकानूनी धर्मांतरण में शामिल संस्थानों का पंजीकरण रद्द होगा, राज्य से मिलने वाली मदद बंद होगी और उपयोग की गई संपत्ति जब्त या ध्वस्त की जा सकेगी।

धर्म परिवर्तन की वैध प्रक्रिया:

सरकार ने धर्म परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया भी निर्धारित की है:

- इच्छुक व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।
- कलेक्टर जांच के बाद संतुष्ट होने पर अनुमति देंगे।
- बिना अनुमति या गलत जानकारी देने पर सजा का प्रावधान होगा।
- यदि कोई संस्था धर्म परिवर्तन का आयोजन करती है, तो उसे दो बार पूर्व सूचना देनी होगी।

विधेयक की आवश्यकता और उद्देश्य:

1. **निर्दोष लोगों की सुरक्षा:** सरकार का कहना है कि बहुत से भोले-भाले लोगों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।
2. **अधिकारों का संतुलन:** यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।
3. **जबरन धर्मांतरण पर रोक:** इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे धर्म परिवर्तन को रोकना है, जो **जबरन, दबाव, लालच या धोखे** से कराए जाते हैं।
4. **स्वेच्छा पर जोर:** विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि धर्म परिवर्तन केवल व्यक्ति की **स्वेच्छा और स्वतंत्र इच्छा** से ही हो, न कि किसी दबाव या झूठे वादे के कारण।

शुरुआती प्रयास (2006 और 2008)

2008 का विधेयक:

- राजस्थान धर्म स्वतंत्रता विधेयक (Rajasthan Dharma Swatantraya Vidheyak) को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार में विधानसभा ने पारित किया।
- इसमें जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान था।
- दोषी पाए जाने पर **अधिकतम पाँच साल की कैद** और संबंधित संगठन का **पंजीकरण रद्द** करने का प्रावधान था।

2006 का प्रयास: इसी तरह का विधेयक 2006 में भी लाया गया था।

शोर प्रदूषण / Noise Pollution

संदर्भ:

भारतीय शहरों में शहरी शोर प्रदूषण एक उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। अधिकांश क्षेत्रों, खासकर **स्कूलों और अस्पतालों** जैसी संवेदनशील जगहों के पास, ध्वनि स्तर अक्सर अनुमेय सीमा से अधिक पाए जाते हैं। इसके **मौन लेकिन गंभीर प्रभाव:** जैसे तनाव, उच्च रक्तचाप और नींद में बाधा—लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक छिपा हुआ खतरा बनकर उभर रहे हैं।

शोर प्रदूषण:

शोर प्रदूषण वह स्थिति है जब वातावरण में अत्यधिक या बाधित करने वाली ध्वनियाँ मौजूद होती हैं, जो **मानव और पशु दोनों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं**।

- यह पर्यावरण प्रदूषण का एक रूप है, जिसमें परिवहन, निर्माण कार्य और औद्योगिक गतिविधियों जैसी स्रोतों से उत्पन्न अनचाही, तेज़ और अनियमित ध्वनियाँ शामिल होती हैं।
- इसके परिणामस्वरूप मनुष्यों में सुनने की क्षमता में कमी, तनाव, और नींद संबंधी विकार देखने को मिलते हैं, जबकि वन्यजीवों के लिए यह उनकी संचार और प्रवासन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है।

शहरी शोर के स्रोत:

1. **यातायात जाम:** हॉर्न बजाना, इंजन की आवाज़ और रोड रेज।
2. **निर्माण कार्य:** देर रात ड्रिलिंग, क्रेन संचालन और पाइल ड्राइविंग, नियमों के बावजूद जारी।
3. **सार्वजनिक आयोजन:** धार्मिक और राजनीतिक सभाओं में लाउडस्पीकर का अति प्रयोग।
4. **पटाखे:** त्योहारों और रैलियों में अनुमेय सीमा से अधिक शोर।
5. **डीजल जनरेटर:** बिजली कटौती के समय उपयोग, जो उच्च डेसिबल स्तर का शोर पैदा करते हैं।

प्रभाव:

1. **स्वास्थ्य पर असर:**
   - उच्च रक्तचाप (Hypertension), नींद संबंधी विकार, सुनने की क्षमता में कमी और हृदय पर दबाव।
   - लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से चिंता, थकान और एकाग्रता में कमी।
   - बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से मानसिक और विकासात्मक समस्याओं के शिकार।
2. **पर्यावरण पर असर:**
   - जानवरों के व्यवहार, प्रजनन पैटर्न और शहरी हरित क्षेत्रों में आवास उपयोग में बदलाव।

भारत में शोर प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम:

1. **कानूनी ढांचा (Legal Framework):**
   - Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 को Environment (Protection) Act, 1986 के तहत लागू किया गया।
   - इसमें औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और साइलेंस ज़ोन के लिए अलग-अलग शोर की सीमा निर्धारित की गई है।
2. **राष्ट्रीय परिवेशी शोर निगरानी नेटवर्क:**
   - 2011 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने इसे शुरू किया।
   - इसका उद्देश्य रियल-टाइम शोर डेटा इकट्ठा करना था।
   - लेकिन यह ज़्यादातर डेटा स्टोरेज की तरह काम करता है, नीतिगत उपयोग कम होता है।
   - सेंसर की गलत लोकेशन और जवाबदेही की कमी भी एक समस्या है।
3. **न्यायिक हस्तक्षेप:**
   - सर्वोच्च न्यायालय ने **रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध** लगाया।
   - पटना उच्च न्यायालय ने स्कूलों, अस्पतालों और कॉलेजों के आसपास **हॉर्न-फ्री ज़ोन** घोषित किए।
   - राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने त्योहारों के दौरान **विशेष निगरानी** के आदेश दिए।

आगे की राह (Way Forward)

1. **शहरों में शोर की स्थिति:** दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में परिवेशी शोर स्तर (Ambient Noise Levels) नियमित रूप से अनुमेय सीमा से अधिक पाए जाते हैं।
2. **कानून और प्रवर्तन को मज़बूत करना:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को *रियल-टाइम डेटा* और कानूनी अधिकार देकर प्रवर्तन (Enforcement) को प्रभावी बनाया जाए।
3. **शहरी नियोजन में सुधार:** शोरगुल वाले और संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे स्कूल, अस्पताल) के बीच *बफ़र ज़ोन* बनाए जाएं। स्वास्थ्य खतरों और कानूनी दंड के बारे में *जन-जागरूकता अभियान* चलाए जाएं।

APEDA ने कृषि-खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए BHARATI पहल शुरू की / APEDA launches BHARATI initiative to boost agri-food exports

संदर्भ:

एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) ने **BHARATI पहल** की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य **100 एग्री-फूड स्टार्टअप्स को सहयोग** प्रदान करना और वर्ष **2030 तक 50 अरब डॉलर के एग्री-फूड निर्यात** के लक्ष्य को हासिल करना है।

BHARATI की प्रमुख विशेषताएँ:

1. **स्टार्टअप-केंद्रित पहल:**
    - पहले चरण में 100 agri-food और agri-tech स्टार्टअप्स को सहयोग।
2. **तीन माह का एक्सेलेरेशन प्रोग्राम:** उत्पाद विकास, निर्यात तैयारी, नियामक अनुपालन, बाज़ार तक पहुँच और सहयोगी समाधान पर फोकस।
3. **लक्ष्य क्षेत्र (Target Sectors):** GI-टैग वाले कृषि उत्पाद, ऑर्गेनिक फूड्स, सुपरफूड्स और प्रोसेस्ड इंडियन फूड प्रोडक्ट्स।
4. **सहयोगी मॉडल:**
    - राज्य कृषि बोर्ड, विश्वविद्यालय (IITs, NITs), उद्योग निकाय, एक्सेलेरेटर्स और निजी क्षेत्र के साझेदारों के साथ सहयोग।

महत्व:

1. **कृषि निर्यात को बढ़ावा:** भारत को विविधीकृत निर्यात और वैश्विक niche markets (ऑर्गेनिक, GI-tagged, AYUSH उत्पाद) तक पहुँच में मदद।
2. **स्टार्टअप्स को सहयोग:** Incubation और scale-up में मौजूद कमियों को भरना, विशेषकर agri-tech और food processing स्टार्टअप्स के लिए।
3. **नवाचार को बढ़ावा:** पैकेजिंग, ट्रेसबिलिटी और cold-chain logistics में R&D को प्रोत्साहन, ताकि कृषि उत्पादों की नाशवृत्ति और बर्बादी कम हो।
4. **राष्ट्रीय विज़न से मेल:** Atmanirbhar Bharat, Digital India, Vocal for Local और Startup India को समर्थन।
5. **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** SPS-TBT मानकों (Sanitary and Phytosanitary, Technical Barriers to Trade) को पूरा करने वाले समाधान तैयार करना।
6. **खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय:** Value addition और backward linkage को बढ़ावा देकर किसानों को बेहतर मूल्य और ग्रामीण उद्यमिता को सशक्त करना।

चुनौतियाँ:

1. बिखरी हुई सप्लाई चेन और अपर्याप्त cold storage सुविधाएँ।
2. वैश्विक व्यापार बाधाएँ और सख्त आयात नियम (गुणवत्ता, पर्यावरण, स्थिरता से जुड़े)।
3. छोटे agri-startups के लिए वित्त और scalability की समस्या।
4. टियर-2 और टियर-3 शहरों में मज़बूत निर्यात अवसंरचना की कमी।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA):

1. **स्थापना (Founded):**
    - वर्ष 1986 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित।
    - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के अधीन कार्य करता है।
2. **उद्देश्य (Objective):**
    - अनुसूचित उत्पादों (Scheduled Products) के **विकास और निर्यात संवर्धन** को बढ़ावा देना।
    - इनमें फल, सब्जियाँ, अनाज, पशु उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं।
3. **कार्य-क्षेत्र (Scope):**
    - 14 मुख्य श्रेणियों में 700 से अधिक उत्पाद शामिल।
    - जैसे – ताज़े/प्रसंस्कृत फल व सब्जियाँ, अनाज, मांस, डेयरी, पोल्ट्री आदि।

निवेशक शिविर / Niveshak Shivir

संदर्भ:

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA) ने **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** के सहयोग से सफलतापूर्वक **'निवेशक शिविर' (Niveshak Shivir)** का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों को जागरूक करना और सुरक्षित निवेश से जुड़ी जानकारियाँ प्रदान करना है।

निवेशक शिविर (Niveshak Shivir):

- यह एक राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे *outreach programs* की श्रृंखला का हिस्सा है।
- खासकर उन शहरों में आयोजित किया जाता है जहाँ **अप्राप्त निवेश** की संख्या अधिक है।
- इसका उद्देश्य निवेशकों में जागरूकता बढ़ाना, वित्तीय हितों की सुरक्षा करना और भारत की वित्तीय व्यवस्था में **पारदर्शिता, पहुँच और विश्वास** को सुनिश्चित करना है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA):

1. **मंत्रालय (Ministry):** *Ministry of Corporate Affairs* के अधीन कार्य करता है।
2. **स्थापना (Established):**
   - वर्ष 2016 में स्थापित।
   - इसका दायित्व *Investor Education Protection Fund (IEPF)* का प्रबंधन करना है।
3. **उद्देश्य (Objective):**
   - निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
   - अप्राप्त शेयर और डिविडेंड को निवेशकों तक पहुँचाना।
   - देशभर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना।
4. **प्रमुख पहल (Flagship Initiatives):**
   - **Niveshak Didi**
   - **Niveshak Panchayat**
   - **Niveshak Shivir**
   - इन पहलों के माध्यम से IEPFA लोगों को सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है और वित्तीय रूप से जागरूक नागरिक तैयार करता है।

NASA–ESA सोलर ऑर्बिटर मिशन

संदर्भ:

हाल ही में नासा-ईसा (NASA-ESA) की **सोलर ऑर्बिटर मिशन** ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस मिशन ने पहली बार **सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स (SEEs) की उत्पत्ति का सफलतापूर्वक पता लगाया** है, जो सौर भौतिकी और अंतरिक्ष मौसम की समझ के लिए एक बड़ा वैज्ञानिक कदम माना जा रहा है।

नासा–ईएसए (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी) सोलर ऑर्बिटर मिशन:

1. **प्रक्षेपण और लागत (Launch & Cost):**
   - फरवरी 2020 में केप कैनावेरल से लॉन्च।
   - नासा और ईएसए का संयुक्त मिशन, लागत लगभग **1.5 बिलियन डॉलर**।
2. **अवधि (Duration):**
   - प्राथमिक मिशन 2026 तक।
   - विस्तार होने पर 2030 तक बढ़ सकता है।
3. **कक्षा (Orbit):**
   - अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा (Highly Eccentric Orbit)।
   - सूर्य से न्यूनतम 0.28 AU की दूरी तक पहुँचता है।
   - धीरे-धीरे झुकाव (tilt) बढ़ाकर सूर्य के ध्रुवों की इमेजिंग करता है।
4. **पेलोड (Payload):**
   - कुल 10 वैज्ञानिक उपकरण।
   - सौर पवन (Solar Wind), चुंबकीय क्षेत्र, कणों को मापते हैं।
   - इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए *remote sensing* भी।
5. **उद्देश्य (Objectives):**
   - सूर्य के ध्रुवों की पहली बार इमेजिंग।
   - सौर पवन, फ्लेयर्स, *Coronal Mass Ejections (CMEs)* और स्पेस वेदर पर उनके प्रभावों का अध्ययन।

राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 / Rajasthan Coaching Institute Controlled and Regulation Bill 2025

संदर्भ:

राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में बहस और हंगामे के बीच **राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025** पारित कर दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों के संचालन को नियंत्रित करना, छात्रों के हितों की रक्षा करना और आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाओं को रोकना है।

बिल के प्रमुख प्रावधान (Key Provisions of the Bill)

1. रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता

- 100 या उससे अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- बिना रजिस्ट्रेशन कोई कोचिंग सेंटर संचालित नहीं कर सकेगा।
- रजिस्ट्रेशन जिला समिति के माध्यम से होगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
- नियमों का उल्लंघन होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान।

2. फीस वसूली पर नियंत्रण

- कोचिंग सेंटर एकमुश्त फीस नहीं वसूल सकेंगे।
- छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ें तो ट्यूशन और हॉस्टल फीस वापस करनी होगी।
- मनमानी फीस वसूली पर रजिस्ट्रेशन रद्द और संपत्ति कुर्क करने का अधिकार।

3. जुर्माने का प्रावधान

- पहली बार नियम तोड़ने पर **₹50,000** का जुर्माना।
- दूसरी बार उल्लंघन पर **₹2 लाख**, तीसरी बार **₹5 लाख** तक।
- नियमों का बार-बार उल्लंघन होने पर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द।
- जुर्माना न चुकाने पर संपत्ति कुर्क कर वसूली।

4. छात्रों पर दबाव और मानसिक स्वास्थ्य

- छात्रों पर अत्यधिक दबाव से बचाने के लिए **स्ट्रेस मैनेजमेंट सत्र** अनिवार्य।
- नियमित सत्रों के माध्यम से मानसिक दबाव कम और पढ़ाई में सुधार।

कोचिंग सेंटर का निगरानी तंत्र

1. राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण:

- **अध्यक्ष:** उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव।
- **सदस्य:** स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन विभाग के सचिव, पुलिस आईजी, कॉलेज शिक्षा आयुक्त, डीएलबी निदेशक, एक मनोवैज्ञानिक, वित्त विभाग का सचिव, कोचिंग सेंटर के दो प्रतिनिधि और अभिभावक समिति के दो सदस्य।
- **सदस्य सचिव:** उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव।
- **जिम्मेदारी:** रजिस्ट्रेशन, नियमों का पालन, शिकायत निवारण।
- **अधिकार:** सिविल कोर्ट की शक्तियां, कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई।

2. जिला स्तर पर निगरानी

- **24 घंटे कॉल सेंटर:** छात्रों की शिकायतें दर्ज कराने के लिए।
- **जिला समिति:** कलेक्टर की अध्यक्षता में, एसपी, आयुक्त, सीएमएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर द्वारा नामित सदस्य और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट।
- अधिकार: नियमित निरीक्षण, नियम उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन रद्द या रिन्यूअल से इनकार।

3. शिकायत निवारण वेब पोर्टल

- छात्रों और अभिभावकों की सुविधा के लिए **वेब पोर्टल और हेल्पलाइन**।
- उद्देश्य: शिकायतों को दर्ज करना और त्वरित निवारण करना।
- विशेष रूप से मनमानी या अव्यवस्थित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ मददगार।

यह बिल क्यों जरूरी था?

1. **कोटा और राजस्थान का कोचिंग हब होना:**
   - राजस्थान, विशेषकर कोटा, देश में मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों का प्रमुख केंद्र है।
   - हर साल लाखों छात्र यहाँ पढ़ाई करने आते हैं।
2. **अनियंत्रित फीस और मनमानी वसूली:**
   - कई कोचिंग सेंटर छात्रों से अत्यधिक और बिना नियम के फीस वसूलते थे।
3. **छात्रों पर अत्यधिक दबाव:**
   - कोचिंग संस्थानों द्वारा पढ़ाई का अत्यधिक दबाव, लंबे समय तक तनाव और प्रतियोगिता की तीव्रता।
4. **मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की घटनाएँ:**
   - इन कारणों से छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ रही थीं।
   - आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने यह बिल लाना आवश्यक समझा।

Apni Pathshala एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF STOCK MARKET

LEARN HOW TO TRADE

FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND

INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH

COMBO OFFERS

COURSE FEE

~~₹4000/-~~

OFFER PRICE

₹2800/-

Course Validity 1 YEAR

BBK Baaten Bazaar ki

एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात
Baaten Bazar Ki

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE
+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)
FREE
EMI AVAILABLE
BBK
» Long-Term Investing Foundations
» Principles of Value Investing and Stock
» Portfolio Construction Mastery
» Sectoral Investing
» Stock Picking Framework
» Active Portfolio Management Techniques
» Mega Cap vs Mid Cap Strategy
SPECIAL BONUS
COURSE VALIDITY
1 YEAR